

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 4-204/सात-1/2015
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक

31 DEC 2016
29 दिसम्बर, 2016

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- "प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन" हेतु नगरीय
निकायों को रु. 1.00 प्रतिवर्गफुट की दर से भूमि का आबंटन बावत ।

-----000-----

छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के द्वारा शहरी क्षेत्र में कमजोर वर्ग तथा गरीब वर्ग के लोगों को सस्ते दर पर आवास उपलब्ध कराने बावत, नगरीय निकायों को 1.00 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से "प्रधान मंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन" केन्द्र प्रवर्तित योजना हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया गया है।

2/ राज्य शासन, एतद्वारा, " प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन" केन्द्र प्रवर्तित योजना के लिए रु. 1.00 (एक रुपये मात्र) प्रतिवर्गफुट की दर से राजस्व परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 की कण्डिका 25 में वर्णित समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात्, नगरीय निकायों को शासकीय भूमि आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान करता है तथा उक्त योजना के तहत शासकीय भूमि नगरीय निकायों को आबंटित करने के लिए प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(रमेश शर्मा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
29/12

पृ0कमांक एफ 4-204/सात-1/2015 नया रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर
3. विशेष सहायक मान0मंत्री जी छ0ग0शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर
4. आयुक्त, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/सरगुजा एवं बस्तर संभाग छ0ग0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. आदेश फाईल हेतु

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

११/१२